न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या 21/23

तारीख रज्जू- 12/09/23

1. नाहरसिंह पुत्र रामचरण जाति गुर्जर निवासी गुजर कोलेता तहसील बामनवास।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील भॉवरा ।

—रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 08/10/2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार भॉवारा द्वारा मिसल संख्या 46/2021 में पारित निर्णय दिनांक 25/10/2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम गूजरकोलेता के आराजी ख0नं0 1510/2 कुल रकबा 5.30 है0 किस्म गै0मु0 पहाड़ में से 0.10है0 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शारित आरोपित करने के दण्ड से एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात् उभय पक्ष की मूल बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय पारित किया है तथा निर्णय में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी बार-बार अतिक्रमण करने का आदी रहा है, लेकिन पत्रावली में ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है कि अपीलार्थी बार-बार अतिक्रमण करने का आदी रहा हो तथा ना ही अपीलार्थी को पूर्व में बेदखल सबंधित कोई दस्तावेज/आदेश पत्रावली में संलग्न किये है, जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण करने का आदी रहा हो। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि अपीलार्थी का सिवायचक भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है, अपीलार्थी ने अपना अतिक्रमण हटा लिया था, उसके बावजूद भी हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है,साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने आरआरटी 2003 (1) बंशी बनाम राजस्थान सरकार नजीरे प्रस्तुत कर उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

8/10/24
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

दोनों पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया. है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी नाहरसिंह द्वारा अतिक्रमण पूर्णतयः नहीं हटाया गया है तथा उक्त अतिक्रमी पश्चातवर्ती है। नायब तहसीलदार भॉवरा के पत्रांक 261 दिनांक 18.09.2024 द्वारा संलग्न पटवारी हल्का से प्राप्त नवीनतम मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त वाद आराजीयात मौके पर खाली है। मौके पर किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं है ,लेकिन अपीलार्थी द्वारा भविष्य में उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इसलिए अपीलार्थी को भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं किये जाने हेतु पावन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस निर्देश के साथ स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी एक शपथ पत्र इस आशय का "अपीलार्थी भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा एवं यदि वह अतिक्रमण करता है तो उसके बाद होने वाली समस्त कार्यवाही का वह स्वयं जिम्मेदार होगा " इस निर्णय से 15 दिवस के अन्दर न्यायालय नायब तहसीलदार भॉवरा में एवं प्रति इस न्यायालय में पेश कर देता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त माना जावे अन्यथा सिविल कारावास की सजा यथावत मानी जावे । शेष आदेश शास्ति , बेदखली व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/10/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला–गंगापुर सिटी (राज०)
सत्यमेव जयते